न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152

email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक- 730/आ.नि.को

दिनांक 27 जुलाई '19

आदेश

वाद संख्या-08/2019

वादी :- श्री अतुल रंजन, रोड नं0-17, पो0-केशरीनगर, राजीवनगर, पटना-24

प्रतिवादी :- (1) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, अपर सचिव के माध्यम से
(2) बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना, परीक्षा नियंत्रक माध्यम से

विषय :- श्री अतुल रंजन, रोड नं0-17, पो0-केशरीनगर, राजीवनगर, पटना-24 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-13062 दिनांक-12.10.2017 में बहुदिव्यांगता को शामिल नहीं किये जाने से सम्बन्धित परिवाद।

सुनवाई की तिथि - दिनांक-18.06.19 एवं 27.06.2019

वादी एक बहुदिव्यांग छात्र है तथा वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का पात्र अभ्यर्थी है। प्रतिवादी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-34 के अन्तर्गत सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान के राज्य अन्तर्गत अनुपालनार्थ आवश्यक संकल्प निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार है तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना उक्त सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित प्रावधानों का आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अन्तर्गत लागू किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकार है।

श्री अतुल रंजन द्वारा इस कार्यालय को समर्पित परिवाद पत्र दिनांक-29.05.2019 के अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-13062 दिनांक-12.10.2017 में बहुदिव्यांगता को शामिल नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत करते हुए, इसके निराकरण हेतु अपील की गई।

उक्त मामले की व्यापक समीक्षा के उपरांत वादी द्वारा की गई शिकायत के निष्पादन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत वाद पंजीकृत करते हुए कार्यालय के पत्रांक-651/आ0नि0को0 दि0-06.06.2019 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया गया।

प्रथम सुनवाई की तिथि दिनांक-18.06.2019 को वादी श्री अतुल रंजन उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी संख्या-2 यथा उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना उपस्थित हुये, जबकि प्रतिवादी संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अनुपस्थित रहे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मामले विशेष के सम्बन्ध में पत्रांक-01/विविध 24-002/2007 (604)/लो.से. आ. दिनांक-14.06.2019 न्यायालय को समर्पित किया गया, जिसकी कंडिका-02 एवं 03 में निम्न उल्लेख किये गये है :-

''2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13062 दि0-12.10.2017 द्वारा दृष्टि दिव्यांगता, मूक बधिर दिव्यांगता, चलन दिव्यांगता एवं मनोविकास दिव्यांगता को आरक्षण देते हुए उनके लिए आदर्श रोस्टर का प्रावधान किया गया है तथा बहुदिव्यांगता के आरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्र0पृ0का.....

Scanned by CarbonScanner

3. राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित आरक्षण के आलोक में विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग को अधियाचना प्राप्त होता है, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर चयन की कार्रवाई की जाती है। **बहुदिव्यांगता को आरक्षण देने का मामला पूर्णतः राज्य सरकार से सम्बन्धित है।''**

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति के अभाव में वाद से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु का स्पष्ट निराकरण सम्भव नहीं हो सका।

द्वितीय सुनवाई की तिथि दि0-27.06.2019 को वादी तथा दोनों प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुये। अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्रांक-11/आ0-विविध-10/2017 सा0प्र0 38(11) दि0-27.06.2019 न्यायालय को समर्पित किया गया, जिसके अन्तर्गत निम्न उल्लेख किये गये है:-

''संकल्प संख्या-13062 दि0-12.10.2017 की कंडिका-2(v) के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों अर्थात यदि उम्मीदवार चारों प्रवर्ग में से किसी एक प्रवर्ग में भी 40 प्रतिशत दिव्यांग हो, तो संगत दिव्यांगता कोटि में आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराया जाता है।

उम्मीदवार का दिव्यांगता प्रतिशत जिस भी प्रवर्ग में 40 प्रतिशत तक हो उन्हें उसी प्रवर्ग का आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराया जाता है। **अतः राज्य सरकार के द्वारा बहुदिव्यांगता को एक अलग प्रवर्ग बनाये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।''** अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ इससे जुड़े विविध पहलुओं पर विभाग का मंतव्य भी प्राप्त किया गया।

इस विषय में सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचारोपरांत न्यायालय द्वारा निम्न बिन्दुओं का संज्ञान लिया गया :-

(1) विषयगत संकल्प संख्या-13062 दि0-12.10.2017 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-34 के अन्तर्गत सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के आरक्षण सम्बन्धी वर्णित प्रावधान का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समर्पित पत्रांक-11/आ0-विविध-10/2017 सा0प्र0 38(11) दि0-27.06.2019 के अन्तर्गत किये गये उल्लेख ''उम्मीदवार का दिव्यांगता प्रतिशत जिस भी प्रवर्ग में 40 प्रतिशत तक हो उन्हें उसी प्रवर्ग का आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराया जाता है। अतः राज्य सरकार के द्वारा बहुदिव्यांगता को एक अलग प्रवर्ग बनाये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।'' से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत बहुदिव्यांगता के सम्बन्ध में किये गये आरक्षण प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसे निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है:-

ऐसा सम्भव है कि किसी बहुदिव्यांग की अलग-अलग प्रवर्ग में दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम हो परन्तु समेकित रूप से बहुदिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक हो (इससे सम्बन्धित यथा प्रावधानित गणना मानक के अनुसार)। इस स्थिति में वह दिव्यांग किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत संदर्भित दिव्यांगजन की कोटि में शामिल नहीं हो सकेगा, परन्तु बहुदिव्यांगता के आधार पर वह संदर्भित दिव्यांगजन की कोटि (बहुदिव्यांगता के अन्तर्गत) में शामिल हो सकेगा।

(3) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वर्तमान मे राज्य अन्तर्गत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधानित संकल्प सं0-13062 दिनांक-12.10.2017 के आलोक में आयोग द्वारा बहुदिव्यांगों के आरक्षण के सम्बन्ध में कार्यान्वयन नही किया जाता है।

सम्बन्धित मामले में व्यापक समीक्षा, संकल्प सं0-13062 दिनांक-12.10.2017 की कंडिका-2(iii) में अंकित प्रावधान एवं सभी पहलुओं पर विचारोपरांत न्यायालय निम्न आदेश प्रदान करता है :-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-34 के राज्य अन्तर्गत पूर्ण अनुपालन हेतु सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-13062 दिनांक-12.10.2017 में बहुदिव्यांगता को शामिल किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जायें। इस सम्बन्ध संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपनाया प्रारूप एक प्रतिदर्श हो सकता है।

''--- प्रावधानित रोस्टर के आलोक में दिव्यांगों को निम्नांकित आरक्षण प्रतिशत देय होगा :-

Scanned by CarbonScanner

(क)	अंध और निम्न दृष्टि	1%
(ख)	बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास	1%
(ग)	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।	1%
(घ)	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता	1%
(ङ)	प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अन्तर्गत बधिर, अंधता भी है	1%

उल्लेखनीय है कि तेजाब हमले से पीड़ित को भी सम्बन्धित दिव्यांग प्रवर्ग का आरक्षण देय है।''

(ख) इस न्यायालय के पत्रांक-686 दि0-18.06.2019 के अन्तर्गत ''बिहार लोक आयोग, पटना द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी से संबंधित परीक्षा फल अगले आदेश तक घोषित नहीं किये जाने'' संबंधित आदेश को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित पक्षों को अनुपालनार्थ प्रेषित कर दें।

27.06.19

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 730/आ.नि.को

दिनांक 27 जुलाई 19

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.06.19

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 730/आ.नि.को

दिनांक 27 जुलाई 19

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.06.19

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 730/आ.नि.को

दिनांक 27 जुलाई 19

प्रतिलिपिः-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.06.19

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 730/आ.नि.को

दिनांक 27 जुलाई 19

प्रतिलिपिः-उप मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, 06, भगवान दास रोड, सरोजिनी हाऊस, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

27.06.19

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 730/आ.नि.को

दिनांक 27 जुलाई 19

प्रतिलिपिः-श्री अतुल रंजन, रोड नं0-17, पो0-केशरीनगर, राजीवनगर, पटना-24 को सूचनार्थ प्रेषित।

27.06.19

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned by CarbonScanner